

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी

आशीष गुप्ता
आई.ए.एस.

मिसल संख्या

मैनुअल नं.142/प्रा.पत्र/2018
(GCMS No. 2018 / 00378)

तारीख दायरा

30.05.2018

तारीख निर्णय

16.09.2020

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

— प्रार्थी

बनाम

भोजराज आ. रणजीता जाति दरोगा,
निवासी ग्राम जालेडा, तहसील एवं जिला बून्दी (राज0)

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) कृषि भूमि आवंटन नियम, 1970

उपस्थित—

प्रार्थी की ओर से पेरकार सरकार।
अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी भोजराज आ. रणजीता कौम दरोगा, निवासी ग्राम जालेडा, तहसील बून्दी को किये गये भूमि आवंटन खसरा संख्या 224 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाकेग्राम जालेडा, आवंटन आदेश दिनांक 10.10.1977 को निरस्त किये जाने हेतु नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। मूल आवंटन पत्रावली प्रार्थना पत्र के संलग्न प्राप्त हुई।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर, दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को वास्ते जवाब जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित न्यायालय नहीं आने से दिनांक 15.09.2020 को अप्रार्थी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस पेरकार सरकार सुनी गयी ।

जिला कलक्टर; बून्दी



पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को दिनांक 10.10.1977 को आवंटन की गई थी, आवंटी का आवंटित भूमि पर कब्जा काशत नहीं है एवं आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य भी जमा नहीं करवाया गया है। जिस कारण आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किया जाना प्रमाणित है। ऐसे में आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड की जावें।

न्यायालय ने पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन किया एवं बहस पर गहनता से मनन किया। आवंटी भोजराज आ. रणजीता कौम दरोगा, निवासी ग्राम जालेडा, तहसील बून्दी को मिसल संख्या 393/1977 पर दिनांक 10.10.1977 को भूमि खसरा संख्या 224 रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा वाकेग्राम जालेडा का आवंटन किया जाना प्रकट है। संलग्न आवंटन पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत आवेदन किया गया। आरक्षित मूल्य पर जमा करवाने की शर्त पर उक्त नियमों के तहत आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन किया गया। इस प्रकार उक्त भूमि कमाण्ड क्षेत्र में स्थित होने से अनकमाण्ड क्षेत्र के कृषि भूमि आवंटन नियम,1970 के नियम 14(4) के तहत कार्यवाही किया जाना उचित नहीं है। ऐसे में कमाण्ड क्षेत्र की भूमि पर चम्बल परियोजना क्षेत्र के नियमों के तहत आवंटन निरस्तीकरण की कार्यवाही पेश नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी नियमान्तर्गत नहीं है, जो अस्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थना पत्र प्रार्थी अपूर्ण होने से अस्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार बून्दी को मूल आवंटन पत्रावली लौटाकर निर्देश दिये जाते है कि आवंटित भूमि पर आवंटी के कब्जा काशत के संबंध में मौका रिपोर्ट, आवंटी द्वारा आरक्षित मूल्य जमा होने या राशि बकाया होने बाबत स्पष्ट रिपोर्ट सहित प्रकरण राजस्थान उपनिवेशन (चम्बल परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमियों का आवंटन एवं विक्रय) नियम,1957 के तहत तैयार कर भिजवाये जाने पर ही प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही की जा सकेगी।

आदेश आज दिनांक 16.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(आशीष गुप्ता)
जिला कलेक्टर, बून्दी
जिला कलेक्टर बून्दी